श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वा दिनांक–28.07.2018 को कटिहार, नगर निगम, कार्यालय में किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन।

कटिहार नगर निगम का क्षेत्रफल 25.52 वर्ग कि०मी० में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या व 2011 के अनुसार 2,40,177 एवं वार्डों की सख्या–45 तथा कुल होलडिंगों की संख्या–29,970 है।

नगर निगम, कटिहार का पिछला निर्वाचन वर्ष मई 2016 को हुई है। वर्तमान महापौर, श्री बिज सिंह, उप–महापौर, श्री मंजूर खाँ एवं नगर आयुक्त, श्री अजय कुमार ठाकुर, बि०प्र०से० पुरूष पार्षदों की संख्या–2 एवं महिला पार्षदों की संख्या–23 है।

नगर निगम, कटिहार का कार्यालय निरीक्षण विभिन्न विभागीय पदाधिकारीयों द्वारा वर्ष 1950 से 2015 तव के अवधि में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015 में अन्तिम कार्यालय, निरीक्षण श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा किया गया है।

नगर निगम, कटिहार का अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 तक का हो चुका है। महालेखाकार कार्यालय बिहार से अंकेक्षण प्रतिवेदन कटिहार, नगर निगम को प्राप्त है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्राप्त सभी अंकेक्षणों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार पटना को उपलब्ध करा दी गई है। विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया की कटिहार, नगर निगम के दो अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–632/2011–12 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–245/2013–14 का अनुपालन लंबित है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया की महालेखाकार, बिहार पटना का पत्रांक–LA/SS/1/I.C/IR-1710/2015-16-557, दिनांक–14.05.2018 द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–632/2011–12 में अंकेक्षण आपत्ति–32 के विरूद्ध 26 का निष्पादित कर दिया गया है शेष लंबित कंडिका सं0–3, 09, 16, 27, 28 एवं 31 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–245/2013–14 में अंकेक्षण आपत्ति–36 के विरूद्ध 23 का निष्पादन किया जा चुका है। शेष लंबित कंडिका सं0–03, 11(ii), 11(iii), 11(iv), 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31 एवं 35 साक्ष्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन तैयार की जा रही है जो शीघ्र ही महालेखाकार, कार्यालय को अंतिम निष्पादन हेतु भेज दी जायेगी।

नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया की शेष लंबित कंडिकाओं का साक्ष्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, कार्यालय को भेजते हुए एक प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को भी उपलब्ध कराया जाय।

1. (क) पिछले तीन वर्षों का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है (PL Account)

क्र०	आय एवं व्यय मद	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5
1	प्रांभिक शेष	280381541.18	368198940.18	498799200.18
2	प्राप्ति	318697732.00	405683043.00	372678683.00
3	कुल योग	599079273.18	773881983.18	871477883.18
4	व्यय	23088033.00	275082783.00	207834791.00
5	अंत शेष	368198940.18	498799200.18	663643092.18

पत्र पंजी
01 AUG 2018
संख्या 8399
बिहार, पटना

(ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 में पिछले तीन माह का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है (PL Account)

क्र०	माह	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	व्यय	अंत शेष
1	2	3	4	5		
1	अप्रैल–2018	663643092.18	5450040.00	669093132.18	13129650.00	655963482.18
2	मई–2018	655963482.18	9211730.00	665175212.18	12529742.00	652645470.18
3	जून–2018	652645470.18	109514249.00	762159719.18	7171533.00	754988186.18

लेखापाल रोकड़बही एवं कोषागार पासबुक–51 के साथ मिलान किया गया। नियमित रूप से रोकड़बही का संधारण एवं सत्यापित कोषागार पासबुक का मिलान लेखापाल द्वारा किया जाता है। नगर आयुक्त द्वारा रोकड़बही सत्यापित किया गया है।

2. (क) पिछले तीन वर्षों का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है (राष्ट्रीयकृत बैंक खाता)

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको में कुल–24 मदों का अलग–अलग बैंक खाता है। सभी मदों का अलग–अलग रोकड़बही का संधारण किया गया है। रोकड़बही नगर आयुक्त द्वारा सत्यापित है।

3. वित्तीय वर्ष–2018–19 में (अप्रैल–2018 से जून–2018) का रोकड़पाल का रोकड़बही के अनुसार कुल प्राप्त राशि एवं कोषागार में जमा की गई राशि की स्थिति

दिनांक–01.04.2018 से 30.06.2018 तक प्राप्त की गई राशि	–	1,31,42,589.00
दिनांक–30.06.2018 तक कोषागार में चलान द्वारा जमा की गई राशि	–	99,34,461.00
दिनांक–30.06.2018 को रोकड़पाल के पास बची हुई अवशेष राशि	–	31,98,128.00
दिनांक–02.07.2018 तक कोषागार में जमा की गई अवशेष राशि	–	31,98,128.00

4. पिछले तीन वर्षों का राजस्व वसुली :–

(क) प्रोपट्री टैक्स :–

क्र०	वित्तीय वर्ष	बकाया माँग	हाल माँग	कुल माँग	दण्ड के साथ कुल वसुली	अवशेष राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015–16	3,77,28,283.00	3,86,15,252.00	7,63,43,485.00	3,50,79,069.00	4,12,64,416.00 + 56,796852.00	45.94%
2	2016–17	9,76,67,058.00	5,05,34,615.00	14,82,01,673.00	10,56,99,017.00	4,25,02,656.00	71.32%
3	2017–18	4,25,02,656.00	5,01,40,405.00	9,26,43,061.00	4,89,00,487.00	4,37,42,574.00	52.78%

(ख) अनुज्ञप्ति :–

क्र०	वित्तीय वर्ष	कुल संख्या	बकाया + हाल माँग	कुल वसुली	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	2015–16	393	6,78,200.00	6,78,200.00	100%
2	2016–17	86	6,37,779.00	6,37,779.00	100%
3	2017–18	361	7,84,500.00	7,84,500.00	100%

(ग) दूकानों / स्टॉलो का किराया :–

क्र०	वित्तीय वर्ष	दूकानों की संख्या	बकाया माँग	हाल माँग	कुल माँग	कुल वसुली दण्ड के साथ	अवशेष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2015–16	0	49,13,988.00	85,14,931.00	1,34,28,919.00	69,07,287.00	65,21,632.00	51.43%
2	2016–17	0	65,21,632.00	85,14,931.00	1,50,36,563.00	50,70,446.00	99,66,117.00	33.72%
3	2017–18	0	99,66,117.00	85,14,931.00	1,84,81,048.00	54,99,616.00	1,29,81,432.00	29.75%

राजस्व वसुली शाखा द्वारा माँग पंजी एवं वसुली पंजी का संधारण किया जाता है या नही ऐसा कोई साक्ष्य कर शाखा द्वारा उपस्थापित नही किया गया। संग्रहकर्त्ता द्वारा वसुली गई राशि नियमित रूप से रोकड़पाल के पास जमा होता है या नही ये देखने के लिए एक संग्रहकर्त्ता श्री सुरेश कुमार पासवान, (कमिशन पर) का डी0सी0आर0 का अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा वसुली गई राशि नियमित रूप से रोकड़पाल के पास जमा नही की जाती है। कई दिन के वसुली अपने पास रखकर मोटा रकम एक साथ रोकड़पाल के पास जमा किया जाता है। इस प्रकार का मामला अरथाई गमन का मामला बन सकता है। संबंधित संग्रहकर्त्ता को इस संबंध में पुछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि राशि जमा करने में इस बार विलम्ब हो गया है। श्री सुरेश कुमार पासवान को चेतावनी दिया गया कि राजस्व वसुली की राशि निश्चित रूप से दुसरे दिन ही जमा करना सुनिश्चित करेगें। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया की सभी संग्रहकर्त्ता को इस आश्य का एक आदेश पत्र निर्गत करें कि संग्रहकर्त्ता द्वारा वसुली की गई राशि अपने पास नही रखें और वसुली के दुसरे दिन ही रोकड़पाल के पास जमा करना सुनिश्चित करें।

जिन संग्रहकर्त्ता द्वारा आदेश का पालन नही किया जाय उन पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। वसुली विवरणी देखने से स्पष्ट होता है कि वसुली संतोषजनक नही है। एक बड़ी मात्रा में बकाया राशि है। जिसे वसुल करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय। जी0आई0एस0 आधारित होल्डिंग संख्या की जाँच कर छूटे हुए सभी होल्डिग का करारोपन निर्धारित किया जाय। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि होल्डिग का पुनः सर्वेक्षण कर इस कार्य को सीघ्र पुरा कर लिया जायेगा।

दुकानों का किराया वसुली से संबंधित उपलब्ध कराये गये विवरणी से स्पष्ट होता है कि वसुली संतोषजनक नही है साथ ही विवरणी में दुकानों की संख्या अंकित नही किया गया है। वर्ष 2017–18 में ही मो0–1,29,81,432.00 (एक करोड़ उनतीस लाख एकासी हजार चार सौ बत्तीस) रू0 वसुली हेतु बकाया पड़ी हुई है। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि बकाया राशि की वसुली करना सुनिश्चित कराई जाय।

5. (क) सैरात :–

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पिछले तीन वर्षों यथा–2015–16 से 2017–18 तक आठी सैरातो में से सात सैरातों की बन्दोबस्ती की गई थी तथा बन्दोबस्तधारी से बन्दोबस्ती की सम्पूर्ण राशि वसुली कर ली गई है। एक सैरात अंश बाजार–02 का कुछ अर्चन लग जाने के कारण इसकी बन्दोबस्ती नही हो सकी। वर्ष 2018–19 में आठ सैरातों में से एक सैरात मुक्तिधाम की बन्दोबस्ती नही हुई है। इसकी बन्दोबस्ती के लिए कई बार प्रयास किया गया परन्तु इसकी बन्दोबस्ती लेने के लिए कोई इच्छुक नही है।

6. नये बिल्डींग बाई लोज के अनुसार नक्शा पारित :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल–757 नक्शा एवं 2018–19 में जून–2018 तक 151 नक्शा की नगर निगम द्वारा स्वीकृति दी गई है।

7. रैन बसेरा :–

नगर आयुक्त ने बताया कि कटिहार, नगर निगम क्षेत्र में दो रैन बसेरा बनाई गई है। एक रैन बसेरा सदर अस्पताल परिसर में वर्ष 2013–14 में 13वें वित्त आयोग निधि से दो मंजिला रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जो चालु अवस्था में है।

कटिहार, नगर निगम क्षेत्र में उदामा रहिका स्थित नई बस पड़ाव में तीन मंजिला रैन बसेरा (DAY- NULM) मद से निर्माण कार्य पूरा किया गया है। (बिजली एवं सेनिटेशन कार्य बाकी है) योजना का कार्यकारी एजेंसी नगर निगम, कटिहार है।

8. मोबाईल टावर :–

प्राप्त विवरणी के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि कटिहार, नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से 87 ऐसे मोबाईल टावर अधिष्ठापित है। पूर्व में विभागीय निर्देश के आलोक एवं माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में मोबाईल टावर संस्थापकों से Tax वसूल नही किया जाता था। राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए यह बताया गया था की मोबाईल टावरो से वसुली की जाय। Tax वसूल की कारवाई की जा रही है।

9. स्थापना :–

वर्त्तमान में नगर निगम, कटिहार का क्षेत्रफल 25.52 वर्ग किलोमीटर, कुल वार्डों की सं0–45 एवं आबादि लगभग 2,50,000 के पास है। शहर की समुचित सफाई एवं कार्यालय कार्य 50 कर्मियों से नही हो सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शहर की साफ–सफाई कार्य एवं कार्यालय कार्यों तथा कर वसुली कार्य के लिए अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर/अनुबंध पर कर्मचारियों को रखकर कार्य लिया जा रहा है। जिसकी सं0–522 है ।

10. FSTP (FECAL SLUDGE AND SEPTAGE TREATMENT PLANT) :–

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा निबंधित एन0जी0ओ0–(C.S.E.) द्वारा 1,97,00,000.00 (एक करोड़ सनतान्बे लाख) रू0 का DPR तैयार कर नगर निगम को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त DPR को शीघ्र ही नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11. शहर के जल–जमाव की समस्या :–

नगर आयुक्त एवं नगर निगम के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि शहर के जल–जमाव की समस्या का निराकरण हेतु BUIDCO द्वारा DPR तैयार कर नगर विकस एवं आवास विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराया गया है। इसका Presentation विभागीय मा0 मंत्री की अध्यक्षता में विभाग में हो चुकी है। नगर निगम के सहायक अभियंता भी उक्त Presentation में भाग लिये थे। जिनके द्वारा कुछ बिन्दु पर सुझाव दिया गया था। सुझाव को स्वीकृत करते हुए DPR में आवश्यक संशोधन कर BUIDCO द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को समर्पित किया गया है।

12. (क) राज्य योजना :–

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 06 योजना वर्ष 2016–17 में शून्य एवं वर्ष 2017–18 में 01 योजना नया टोला शरीफगंज में कटिहार–मनिहारी मुख्य सड़क से धुरण सहनी के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं पक्का नाला का निर्माण प्राक्कलित राशि–3,35,15,700.00 (तीन करोड़ पैतीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ) रू0 का तकनीकी एवं प्रशासनिक की स्वीकृति के साथ मो0–83,78,925.00 (तेरासी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पचीस) रू0 वर्ष 2017–18 में आवंटन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

इस योजना का निविदा SBD के तहत ही की जानी है। इसके लिए NIT प्रारूप तैयार कर कार्यपालक अभियंता, (डूडा) कटिहार द्वारा अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में 06 योजना ली गई थी सभी योजना पूर्ण हो गई है।
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोई योजना नही ली गई थी।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में 01 योजना चयनित है।

(ख) 14वां वित्त आयोग :–

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोई योजना नही ली गई है।
2. वर्ष 2016–17 में कुल–4 योजना ली गई है। जिसमें 02 योजना एकरारनामा की प्रक्रिया में है एवं 02 योजना के लिए पुर्ननिविदा किया गया है।
3. वर्ष 2017–18 में कोई योजना नही ली गई है।

(ग) चर्तुर्थ राज्य वित्त आयोग :–

1. नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 09 योजना ली गई है। सभी योजना पूर्ण हो गयी है।
2. वर्ष 2016–17 में 03 (तीन) योजना ली गयी है। जिसमें एक योजना का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हुई है एवं 02 (दो) योजना का एकरारनामा प्रक्रिया में है।
3. वर्ष 2017–18 में कोई योजना नही ली गई है।

नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि सभी उल्लेखित योजना का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय।

(घ) मुख्यमंत्री नाली–गली योजना :–

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोई योजना नही ली गई है।
2. वर्ष 2016–17 में कुल–46 योजना ली गई है। जिसमें से 20 योजना पूर्ण हो गई है। 04 योजना में कार्य प्रगति पर है। 07 योजना एकरारनामा प्रक्रिया में है। 01 योजना विवादित है। 01 योजना पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है। 02 योजना का कार्यादेश निर्गत किया गया है। 10 योजना में कोई निविदा प्राप्त नही हुई है।
3. वर्ष 2017–18 में कुल–43 योजना ली गई है। पुनर्निविदा की प्रक्रिया में 03, 02 योजना का निविदा अप्राप्त, 01 योजना का तुलनात्मक विवरणी अनुमोदन हेतु (UDHD) को भेजा गया है एवं 37 योजना एकरारनामा प्रक्रिया में है।
4. वर्ष 2018–19 में 06 योजना का निविदा प्रकाशन हेतु विज्ञापन प्रकाशन पत्रांक–791/न0नि0, दिनांक–20.06.2018 द्वारा एन0आ0टी0 किया गया है।

13. (HFA) :–

सबके लिए आवास योजना से संबंधित एक संचिका सं0–721, मो0 यासीन, पिता–स्व0 वाहिद मियाँ, शरीफगंज, वार्ड सं0–42 का अवलोकन किया गया। संचिका में आवश्यक कागजात यथा–नीज जमीन से संबंधित अँचल कार्यालय से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र, अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र सं0–6132, दिनांक–08.08.2017 एवं केवाला संचिका में पाया गया। संबंधित कागजात के आलोक में आवास निर्माण हेतु लाभुक को कार्यादेश सं0–HFA-21, दिनांक–21.11.2017 आदेश निर्गत किया गया है। संचिका का संधारण ठीक पाया।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016–17 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 87 लाभुकों की स्वीकृति प्रथम चरण में दी गई है। विवरणी से स्पष्ट होता है कि 326 लाभुको को दिये गये कार्यादेश के विरूद्ध 314 के साथ एकरारनामा किया गया है। द्वितीय चरण में 3446 लाभुको की सूची अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को पत्रांक–939/न0नि0, दिनांक–16.07.2018 द्वारा भेजा गया है लाभुकों को विमुक्त की गई राशि लाभुक के व्यक्तिगत खाता में RTGS के माध्यम से भेजा जाता है। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया की कार्य काफी धीमी गति से चल रही है कार्य के प्रगति में तेजी लाई जाय।

14. दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) :–

नगर मिशन प्रबंधक, (DAY-NULM) नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018–19 में जून 2018 तक कुल–355 स्वयं सहायता समुह का गठन किया गया है। जिसमें से चालु वित्तीय वर्ष में 36 स्वयं सहायता समुह का गठन किया गया है, जो 355 स्वयं सहायता समुह की संख्या में सम्मिलित है। इनमें से 181 स्वयं सहायता समुह को चक्रचालित राशि (RF) @ 10,000.00 (दस हजार) रू0 दिया गया है।

15. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) :–

नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 10,927 लाभुको को चिन्हित किया गया है। भूमिहीन 211 परिवार चिन्हित किया गया है तथा सामुदायिक शौचालय के लिए 389 परिवारों को चिन्हित किया गया है। सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए दो बार निविदा किया गया है परन्तु निविदा प्राप्त नही हो रही है। भूमिहीन परिवारों के लिए चलंत शौचालय GeM Portal के माध्यम से क्रय किया जायेगा तथा सामुदायिक शौचालय के लिए नगर निगम या सरकारी भूमि पर शौचालय का निर्माण किया जाना है इसके लिए भूमि को चिन्हित का कार्य किया जा रहा है।

16. स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 :–

नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में कटिहार नगर निगम को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय स्थान पाने वाले ULB को प्रशस्ती पत्र दिया जाना चाहिए।

17. कटिहार अयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव :–

कटिहार आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव अभी तक जिला में लंबित है। नगर आयुक्त को निदेश दिया गया की जिला पदाधिकारी, कटिहार से सम्पर्क कर आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव विभाग को अविलम्ब भेजा जाय ताकि विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके।

ह0/–
विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4119 पटना, दिनांक– 31/7/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

31.07.18
विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग